Email

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकः प.1(16)साप्र/ग्रुप–5/2013 जयपुर, दिनांकः 21-01-16

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान ।

प्रबन्धक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान ।

प्रबन्धक,
राजस्थान हाउस, नई दिल्ली ।

विषयः–विश्राम भवनों में स्थानान्तरण पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 4.9.2013 के क्रम में स्थानान्तरण पर आवास व्यवस्था के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना की जाना सुनिश्चित करावें:–

1. स्थानान्तरण पर अधिकारी के विश्राम भवन में ठहरने की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावें ।

2. अधिकारी के एक माह से अधिक अवधि के लिए ठहरने की संभावना होने पर उनके आवास की प्रथम तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित आवेदन पूर्ण कराकर विभाग को प्रेषित किया जावें ।

3. मकान किराया आहरित नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्यथा स्थिति में केटेगरी 'ब' की दरें प्रथम दिवस से ही प्राप्त की जावें ।

4. अधिकारियों के विश्राम भवन में आवासित होने व मकान किराया भत्ता आहरित ना करने की सूचना संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को दी जावें ।

5. राजकीय आवास आंवटन की तिथि से पूर्व ही आवंटन अधिकारी द्वारा राजकीय आवास की मरम्मत, रंग–रोगन आदि का कार्य पूर्ण कराने हेतु सुनिश्चितता करने के उपरान्त ही आवास आवंटित किया जावें । इसके पश्चात् विश्राम भवन में आवास अनुमति देय नहीं होगी । विश्राम भवन का कमरा रिक्त करना आवश्यक होगा जिससे राजकीय कार्य से आने वाले अधिकारियों को कमरे सुगमता से सुलभ हो सके।

6. स्थानान्तरण पर विश्राम भवन में आवास करने वाले अधिकारी राजकीय आवास हेतु विलम्ब से आवेदन करते हैं । इससे उन्हें राजकीय आवास का आवंटन समय पर नहीं हो पाता है तथा उन्हें लम्बे समय तक विश्राम भवन में आवासरत् रहना होता है अतः स्थानान्तरण पर आने वाले अधिकारी द्वारा राजकीय आवास आवेदन पत्र की एक प्रति प्रथम दिवस को ही प्रबन्धक, विश्राम भवन को उपलब्ध कराई जावें । प्रबन्धक द्वारा इसे जिले के राजकीय आवास आवंटन अधिकारी तथा इस विभाग को भिजवाई जावें । जिससे स्थानान्तरण पर लम्बे समय तक विश्राम भवन में आवास की आवश्यकता नहीं होगी तथा अन्य विशिष्ठ व्यक्तियों को विश्राम भवन में आवास सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी ।

7. जिन विभागों के स्वयं के विभागीय गेस्ट/रेस्ट हाउस हैं उन विभागों के अधिकारीगण उन्हीं गेस्ट/रेस्ट हाउस में ठहरें ।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव